



PRICE "LESS" FASHION

Date: 28th January, 2019

Ref. No. CS/S/L-312/2018-19

To,

To:
The Listing Department
NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED
"Exchange Plaza"
Bandra-Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai-400 051
Scrip Code: VMART
Fax: 022-26598120
Email: cmlist@nse.co.in

To:
The Corporate Relationship Department
THE BSE LIMITED
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400 001
Scrip code: 534976
Fax: 022-22723121
Email: corp.relations@bseindia.com

Sub: Copies of the Board Meeting Notice publication

Sir,


Please find enclosed herewith the copies of the newspaper publication of Notice of the Board Meeting of the Company for the third quarter ended December 31, 2018, scheduled to be held on 5th February, 2019 and as published in terms of the Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, on Monday, 28th day of January, 2019, in "Financial Express" –English Edition and "Jansatta" – Hindi Edition newspapers.

Request you to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours truly,

For V-Mart Retail Limited


Megha Tandon
Company Secretary

Encl.: As Above

V-MART RETAIL LTD.

CIN- L51909DL2002PLC163727

Corporate Office : Plot No. 862. Udvoa Vihar. Industrial Area Phase V. Gurraon - 122 016 (Harvana)

ट्रेन-18 का नाम ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ होगा : गोयल

नई दिल्ली, 27 जनवरी (भाषा)।

देश में ही निर्मित ट्रेन-18 का नाम ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को यह घोषणा की। ट्रेन-18 में अलग से कोई इंजन नहीं है। इस रेलगाड़ी के एक सेट में 16 डिब्बे लगे हैं। इसे पहले दिल्ली-वाराणसी के बीच चलाया जाएगा। इसकी अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इसे हरी झंडी दिखाएंगे।

ट्रेन-18 को रायबरेली स्थित मॉडर्न कोच फैक्टरी ने रेकार्ड 18 महीने में तैयार किया है। इस पर 97 करोड़ रुपए का लागत आई है। इसे पुरानी शताब्दी

एक्सप्रेस रेलगाड़ी का उतराधिकारी माना जा रहा है जो 30 साल पहले विकसित की गई थी। यह देश की पहली इंजन-रहित रेलगाड़ी होगी। पूरी तरह से वातानुकूलित इस रेलगाड़ी में दो एक्जीक्यूटिव कुर्सीयान होंगे। दिल्ली और वाराणसी के मार्ग पर यह बीच में कानपुर और इलाहाबाद भी रुकेगी।

गोयल ने कहा कि यह पूरी तरह से भारत में बनी रेलगाड़ी है। आम लोगों में इसके कई नाम सुझाए लेकिन हमने इसका नाम ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ रखने का फैसला किया है। यह गणतंत्र दिवस के मौके पर लोगों के लिए एक तोहफा है। हम प्रधानमंत्री से इसे जल्द हरी झंडी दिखाने का अनुरोध करेंगे।

<div>बी-मार्ट रिटेल लिमिटेड</div>
 <div>पंजीकृत कार्यालय - 610०६1, पुणे का दास मार्ग, निम नवद, एम्बेडगेड के के समने, उरुगे नगर, नई दिल्ली-1१०००२</div>
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>कांपोर्टेड कार्यालय - प्लॉट नं. १०२, अग्रिम वित्त ऑफिसियल बिल्डिंग, केंद्र-६, मुकुणम-122०1६</div>फ़ोन - ०११-२४३६०१०२, फ़ैक्स - ०११-२४३६०१०२, ई-मेल - info@bmart.co.in</div></div></div> <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>वेबसाइट - www.bmart.co.in; वीआईएन - LS19900L2002PLC163727</div></div></div></div>
सूचना
<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>एनएचएनए सुविधा किया जाता है कि भारतीय लिमिटेड विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता राखित एवं प्रकटित आवश्यकताएँ) विनिमय, 2०1९ के अनुसूची के अनुसार में कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक ६ फरवरी, 2019 मंगलवार को कम्पनी के कारपोरेट कार्यालय में आयोजित करके निर्धारित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ३१ दिसम्बर, 2०१८ को समाप्त तिमाही के वित्त कम्पनी के अनअंकोशित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन कर उन्हें रिकार्ड में लिया जाएगा।</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>नोटिस की विस्तृत जानकारी कम्पनी व शेयर बाजार की वेबसाइट (www.bseindia.com & www.nseindia.com) पर उपलब्ध है।</div></div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>कृते बी-मार्ट रिटेल लिमिटेड</div></div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>स्थान: मुकुणम</div></div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>हस्ता./- मेधा टंडन (कंपनी सचिव)</div></div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div></div><div>सदस्यता संख्या: A3553२</div></div></div></div></div>

एलसीआरडी/डिवीजन/नई दिल्ली, द फेडरल टायर्स
उपरी मूलतः, 2/२, वेस्ट घटेल नगर, नई दिल्ली-11०0०८.
फोन नं. ०११-४०७३३98०, 981, 982, ईमेल: ndllrcl@federalbank.co.in

संकेत नं. NDLW/SPL-/2019 तिथि: 25.1.2019
प्रतिभूति लि (प्रबंधन) निम्नाहली, 2००२ के नियम ३ (1) के साथपठित सरकेसी अधिनियम, २००२ (यहां के बाद अधिनियम के रूप में वर्णित) की धारा 1३(२) के अंतर्गत सूचना 1. अश्विनी कुमार गुप्ता, पुत्र श्री गणेश चरण गुप्ता २. श्रीमती पलक आनंद, पत्नी श्री अश्वनी कुमार गुप्ता दोनों निवासी: मकान सं. 3३9, सेक्टर-३ एफ, वीसाली, गाँवियाबाद, उत्तर प्रदेश-२०१०1० आने में 1 जनवरी अग्रधारक के रूप में तथा 29 नं सह-देनदार के रूप में नोएडा/बोटेनिकल गाँव नं उरुगी शाखा के माध्यम से बैंक के पक्ष में आवश्यक प्रतिभूति अनुबंधों/अथ्य दरवाजों को निष्पादित करने के बाद द फेडरल बैंक लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनी विसका पंजीकृत कार्यालय अलखाबाद में है। (यहां के बाद बैंक के रूप में वर्णित) से कार ऋण सुविधा प्राप्त की है। बैंक से प्राप्त उपरोक्त साख सुविधा की प्रतिभूति लिए आप में 1 ले ने अधोलिखित संपत्तियों के संदर्भ में हाइपोथेकेशन द्वारा बैंक के पक्ष में प्रतिभूति लिहा का निर्माण किया है:-

हाइपोथेकैड चल्द संपत्तियों का विवरण

बैंड न्यू कार- मारुति नो.१२, डेटा, वर्ष २०१६ मॉडल, सैलून बाँडी कलर ग्रेनाइट ग्रे, चैसिन नं. MA3EWB22SGM27752८, इंजिन नं. 42१61१३, पंजीकरण सं. DL-2C-AW-39१० जो पंजीकृत प्राधिकरण (एम्वी) आईपी डिपों, दिल्ली के अंतर्गत पंजीकृत है।

उपरोक्त हाइपोथेकैड तिारी संपत्तियां यहां के बाद “प्रतिभूत परिसंपत्तियों” के रूप में वर्णित हैं। फेडरल बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अशोहताक्षरी एतद्द्वारा आपको सूचित करते हैं कि बैंक की नोएडा/बोटेनिकल शाखा में कार ऋण खाता १९१७१४4०००00134 के अंतर्गत ३१.१२.२०१८ को रु. ४,२४,४७५.००/- (रुपये चार लाख चौबीस हजार चार सौ पचहतर मात्र) की राशि आप पर संबंक्त तथा पृथक रूप से बकाया है। पुनर्भुगतान में आपकी चूक को देखते हुए भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशों के अनुसार आपकी खाता/ओं की री-प्रचालन परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। सह-लेनदार/ सह-ऋणधारक के रूप में तथा साथ ही कानूनी उतराधिकारी की हैसियत से आप सभी बैंक की बकाये के भुगतान के लिये उत्तरदायी हैं। एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना को पढित से ६० दिनों के भीतर ०१.०१.२०१९ से भुगतान की तिथि तक मासिक रेंटर्स के साथ 9.5५% की दर पर आगे के व्याज तथा २% प्रति वर्ष की दर से दर ब्याज तथा लागतों के साथ उत्तर राशि का भुगतान करें, अन्यथा, बैंक द्वारा अतिरिक्त अथवा बिना बैंक सेवा राशि को वसूली के लिए व्यवक्रान्त रूप से आपके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। आपका ध्यान प्रतिभूति परिसंपत्तियों (प्रतिभूत संपत्तियों को विमोचित करने की वसूली के लिए प्रतिभूत परिसंपत्तियों के प्रबंधन के अधिग्रहण के अधिकार सहित उरुक्ता अधिग्रहण करने जैसी सभी अधिकारों का प्रयोग किया जाएगा।

सूचित किया जाता है कि बैंक की लिखित अनुमति के बिना आप नहीं वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की विक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से अंतरण नहीं कर सकते हैं। आपने देवता को निष्पादित नहीं करने तथा बैंक द्वारा उपचारालक कार्रवाई शुरू किया जाने की स्थिति में आप उसके आगे भी उस रिस्कारिल में बहन किए गए राशि लागत, चार्जज तथा खर्चों का बैंक को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की विक्री राशि से संपूर्ण देवता पूरी नहीं होती है तो आगे किया किसी अलग बैंक सेवा राशि को वसूली के लिए व्यवक्रान्त रूप से आपके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। आपका ध्यान प्रतिभूति परिसम्पत्तियों (प्रतिभूत संपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा १३ (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट किया जाता है।

आज सूचना 5 जनवरी, 20१9 को जारी की गई थी तथा यह आपको सर्व नहीं की जा सकी जिस कारण से सरकेसी अधिनियम के अनुसार यह प्रकाशन आवश्यक हो गया है।

यह सूचना बकाए की वसूली के लिए बैंक को उपलब्ध अन्य अधिकारों तथा उचारों के प्रति पूर्वाग्रह-रहित है।

आज: २५ जनवरी, २०१९ को

तिथि: 25.1.2०१9 द फेडरल बैंक लि. के लिए,
स्थान: नई दिल्ली (प्राधिकृत अधिकारी)

किसानों के लिए राहत पैकेज को जल्द मंजूरी दे सकता है मंत्रिमंडल

नई दिल्ली, २7 जनवरी (भाषा)।

केंद्रीय मंत्रिमंडल कृषि क्षेत्र के संकट से निपटने और उपज की गिरती कीमतों जैसी समस्याओं से निपटने के लिए किसानों को राहत दे सकती है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि मोदी सरकार अप्रैल-मई में होने वाले आम चुनाव से पहले यह पैकेज लागू करेगी।

एक सूत्र ने कहा कि छोटे एवं सीमांत किसानों की आय में कमी की समस्या के निवारण के उपायों को लेकर कृषि मंत्रालय का एक प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के एजेंडे में है। इस बीच, सूत्रों ने जानकारी दी है कि मंत्रिमंडल ने सोमवार को होने वाली बैठक को फिलहाल टाल दिया है। सूत्रों ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए अल्प अवधि एवं दीर्घकालिक दोनों समाधान प्रदान करने के लिए कई विकल्पों की सिफारिश की है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में होना है क्योंकि इसमें भारी भरकम राशि शामिल है।

सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित विकल्पों में समय पर फसल ऋण चुकाने वाले किसानों का ब्याज माफ करने का प्रस्ताव भी शामिल है। इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त १५,००० करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि खाद्य फसलों के लिए बीमा पॉलिसी लेने वालों किसानों के लिए पूरी तरह से प्रीमियम माफ करने का भी प्रस्ताव है। सरकार तेलनामा और औद्योगी सरकारों द्वारा अपनाई गई योजनाओं का मूल्यांकन कर रही है, जिसके तहत एक निर्धारित रकम सीधे किसानों के खातों में डाली जाती है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने हाल ही में संकेत दिया था कि सरकार 20१9-२० के बजट से पहले किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा करेगी। २०१९-२० के लिए अंतरिम बजट एक फरवरी को पेश होना है। विशेषज्ञ का कहना है कि सरकार के पास किसी भी नई योजना के क्रियान्वयन के लिए कम समय है।

<div>एनटीपीसी</div> <div>NTPC</div>	
भारत सरकार का उद्यम	
	
सीआईएन : L4०१०१DL१७5००I०07966	
पंजीकृत कार्यालय : एनटीपीसी भवन, कोर-7, स्कीप कॉम्प्लेक्स, ७, स्ट्रीटदयुशान एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-११०0०३, फ़ोन : ०११-२४३६०१००, फ़ैक्स सं. : ०११-२४३६१०१८ ई-मेल : isd@ntpc.co.in, वेबसाइट : www.ntpc.co.in	
एनटीपीसी लि. के शेयरधारक ध्यान दें	

कम्पनी अधिनियम, २०१३ की धारा १२४(५) और निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, २०१६ (आईडीपीए नियम, २०१६) के तहत, किसी भी कम्पनी को अप्रदत्त रही तथा इस राशि के अंतरण की तिथि से सात (७) वर्षों की अवधि तक दावा रहित अप्रदत्त लाभांश राशि को, केंद्रीय सरकार द्वारा व्यापित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (कोष) में हस्तांतरित करने को कंपनी बाध्य है।

इसके अतिरिक्त कम्पनी अधिनियम, २०१३ की धारा १२४ (६) तथा आईडीपीए नियम, २०१६ के अनुपालन में, ऐसे सभी शेयरों को आईडीपीए खाते में अंतरित किया जाएगा, जिसके लिये लगातार सात वर्षों या अधिक से लाभांश का भुगतान अथवा दावा नहीं किया गया है।

ऐसे शेयरों जिसके लिये अक्टूबर, २०१८ तक लगातार सात वर्षों में लाभांश दावा रहित अथवा अप्रदत्त रहा था, को पहले ही आईडीपीए प्राधिकरण की डीमेट खाता में अंतरित कर दिया गया है। ऐसे शेयर धारकों का विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.ntpc.co.in पर उपलब्ध है।

वित्त वर्ष २०११-१२ के लिये प्रति इक्विटी शेयर पर रु. ३.५० की दर से अंतरिम लाभांश का भुगतान ०९.०२.२०१२ को किया गया था। कम्पनी अधिनियम, २०१३ के प्राक्धानों के अनुसार उपरोक्त लाभांश की अप्रदत्त तथा दावा-रहित राशि २६.०२.२०१९ को कोष में अंतरित होने के लिये देय हो जाएगी। ऐसे धारकों के यह शेयर निम्नका लगातार सात वर्षों से लाभांश का भुगतान/दावा नहीं हुआ है, यह भी आईडीपीए प्राधिकरण के डीमेट खाते में हस्तांतरण के लिए बाध्य है।

शेयरधारक कृपया ध्यान रखें कि यदि राशि/शेयरों को कोष में अंतरित कर दिया जाता है, तो आईडीपीए नियम, २०१६ के अंतर्गत ही नई प्रक्रिया का अनुसरण कर उसे निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण से वापस प्राप्त करने का दावा करना होगा। निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण से रिफंड/शेयरों का दावा करने की अनुशिक्षा से बचने के लिये, ऐसे शेयरधारक जिन्होंने फरवरी, २०१२ में प्रदत्त वित्त वर्ष २०११-१२ के अंतिम लाभांश से संबंधित बार-न्द्स प्राप्त/उसका दावा/उसका नगदीकरण नहीं किया है, वे अपने दावे आर्टीए अर्थात—अलकित एसाइनमेंट्स लि. (यूनिट : एनटीपीसी लि.), अलंकित हाइदरा, १ई/१३, झण्डेवालान एस्टेट्स, नई दिल्ली-११००६५, टेली.: (०११)-४२५४ १९५६, ४२५४ १९६६, फ़ैक्स : (०११) –४१५४ ३४७४ तथा ईमेल: alankit_ntpc@alankit.com के पास अथवा ऊपर दशांगे गये पते पर निवेशक सेवा विभाग, एनटीपीसी लि. में दाखिल कर सकते हैं। शेयरधारक कृपया यह सुनिश्चित करें कि दावे, यदि कोई हों, २५.०२.२०१९ को या उससे पूर्व आर्टीए/एनटीपीसी लि. को प्राप्य हो जाये ताकि अप्रदत्त/दावा रहित लाभांश राशि तथा शेयरों को इस कोष में अंतरित न किया जाये।

शेयरधारक दावा रहित/अप्रदत्त लाभांश के संबंध में अन्य जानकारी हेतु वेबसाइट www.ntpc.co.in के निवेशक अनुभव के अन्तर्गत 'आईडीपीए विवरणों' में देख सकते हैं। आगामी अप्रदत्त/दावा रहित लाभांशों और शेयरों के लिए आईडीपीए में दावा करने की अंतिम तिथियां निम्नलिखित हैं :

वित्त वर्ष	लाभांश का प्रकार	लाभांश का %	दावे दाखिल करने की अंतिम तिथि
२०११-१२	अंतिम	५.००%	१६.१०.२०१९
२०१२-१३	अंतरिम	३७.५०%	३१.०३.२०२०
२०१२-१३	अंतिम	२०.००%	१६.१०.२०२०

एनटीपीसी लि. ने मार्च, २०१५ में बोस डिवेन्सर्स भी जारी किये थे। आज की तारीख में, कुछ डिवेन्सर्स भी दावा रहित प्रचे हैं। निवेशकों से यह भी अनुरोध है कि वेबसाइट www.ntpc.co.in के निवेशक खंड के अंतर्गत ऐसे दावा-रहित डिवेन्सर्स के विवरणों की जांच करें त तथा ऊपर दशांगे गये पते पर कापी किनेट कर लि. (बोस डिवेन्सर्स हेतु आर्टीए/कम्पनी के पास दावे दाखिल करें।

शेयरधारकों से अनुरोध है कि डीमेटरियलाइज्ड पद्धति में धारित शेयरों के मामले में अपने निवाडिगरी पॉर्टफ़ियोन्ड (सीपी) तथा भौतिक पद्धति में धारित शेयरों के मामले में कम्पनी/आर्टीए के पास अपने ईमेल आईडी तथा अन्य संबंधित विवरणों को अपडेट कराते रहें।

एनटीपीसी लिमिटेड के लिए तथा उसकी ओर से

हस्ता./-

(नंदिनी सरकार)

कम्पनी सचिव

वित्तु दीप में उजगी

विकल्प सेक्युरिटीस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: २५/३८, कर्मावी खाना, कानपुर, उत्तर प्रदेश -२०८००१
सौआइएन: L६५9३३UP१९६५PLC००7७27,
देलफॉन: ०५१२-२३७२६६५
ईमेल: vikalpsecuritieslimited@gmail.com
वेबसाइट: www.vikalpsecurities.com

सूचना

● भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबन् कर्तव्य तथा प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमन, २०१५ के विनियमन ४७(१)(a), विनियमन ३३ तथा विनियमन २९ के अनुसार में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार, ०५ फरवरी, २०१९ को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय २५/३८, कर्मावी खाना, कानपुर, उत्तर प्रदेश- २०८००१ में होगी जिसमें, अन्य विषयों के अतिरिक्त, ३१ दिसम्बर, २०१८ को समाप्त हुई तिमाही की अवधि के कंपनी के गैर लेखा परिक्षित वित्तीय नतीजों पर विचार किया जाएगा और उन्हे मंजूरी दी जाएगी। सम्बंधित सूचना कंपनी की वेबसाइट www.vikalpsecurities.com तथा वॉन्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

स्थान: कानपुर
दिनांक: २८ जनवरी, २०१९
हस्ता./-
अरुण केजरीवाल
प्रबंध निदेशक
DIN (डिन): ००६८७९९०

<div>महानगर एटलीफोन निगम लिमिटेड</div> <div>(भारत सरकार का उद्यम)</div>
 <div>खुशींद लाल भवना, जनपथ, नई दिल्ली-११००५०</div>
निविदा आमंत्रण सूचना
एमटीएनएल, नई दिल्ली की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं- <ol style="list-style-type: none">सं. ईई(ई-एस)/एमटीएनएल/बीसीपी/एनआईटी/२०१८-१९ (ईई) बीसीपी के अंतोन विमिन्न आरएसयू/आरएलयू साइटों एवं टीई, बिल्डिंग में डीईए सेटों के व्यापक रखरखाव के लिए ऑनलाइन मद दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। (अनुमानित लागत रु. ३४,०८,०००/-)सं. ईई(ई-एन)/एमटीएनएल/आरएवएन/एनआईटी/२०१८-१९/०५ (ईई(ई-एन) रोहिणो, दिल्ली के अंतोन विमिन्न आरएसयू/आरएलयू साइटों एवं टीई, बिल्डिंग में डीईए सेटों के व्यापक रखरखाव के लिए ऑनलाइन मद दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। (अनुमानित लागत रु. २१,६०,०००/-)सं. सीनिएर मैनेजर(टीएसएम-एएमएम)/ऑफ्टिकल पावर मीटर/२०१८-१९/११ ऑफ्टिकल पावर मीटर की आपूर्ति के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। (अनुमानित लागत रु. १६,६८,५२०/-) अन्य कोई भी संशोधन/परिशिष्ट, शुद्धिपत्र आदि को केवल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।सं. ईई(ई-एन)/आरएवएम/एमटीएनएल/एनआईटी/२०१८-१९/१५ टीई, बिल्डिंग, जनकपुरी सब स्टेशन एमटीएनएल नई दिल्ली में लगे एचटी/एचटी रिचव गेयर और वैनल के एसआईटीसी के लिए ऑनलाइन मद दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। (अनुमानित लागत रु. ३४,६६,८५०/-) ऑनलाइन निविदा हेतु कृपया हमारी ई-प्रोक्यूमेंट वेबसाइट http://www.teel-india-electronicbidding.com एवं http://www.eprocure.gov.in दिखाने। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट http://www.etender.mtnl.net.in एवं http://www.tenders.gov.in देखें।
<i>पारदर्शिता ही हमारी पहचान है!</i>

केंद्रीय उपक्रमों में सामान्य वर्ग के गरीबों को १० फीसद आरक्षण एक फरवरी से

नई दिल्ली, २७ जनवरी (भाषा)।

केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियां (सीपीएसई) अपने यहां सभी सीधी भतियों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों (ईडब्ल्यूएस) के लिए १० फीसद आरक्षण कोटे को एक फरवरी से लागू करेंगी।

देश में कुल ३३९ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) हैं। इनमें ३१ मार्च, २०१८ तक कुल १३.७३ लाख करोड़ रुपए का निवेश है। इन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या २०१७-१८ में १०.८८ लाख थी। इनमें संविदा व दैनिक भत्ते पर काम करने वाले शामिल नहीं हैं।

सार्वजनिक कंपनियों में सामान्य वर्ग के गरीब लोगों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण लागू करने का आदेश लोक उद्यम विभाग ने जारी किया है। विभाग ने कहा कि सभी मंत्रालयों व विभागों से अनुरोध है कि वे अपने

दिल्ली : बिजली कंपनियों को ई-रिक्शा चार्जिंग से १५० करोड़ का चूना

नई दिल्ली, २७ जनवरी (भाषा)।

ई-रिक्शा की बैटरी चार्ज करने के लिए बिजली की संगठित चोरी से दिल्ली में बिजली विरण कंपनियों को सालाना करीब १५० करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है।

दिल्ली में तीन कंपनियां- वीएसईएस की बीवाइपीएल और बीआरपीएल व टाटा पावर देलही डिस्ट्रीब्यूशन बिजली की आपूर्ति करती हैं। एक आलकल के अनुसार शहर की सड़कों पर एक लाख से अधिक ई-रिक्शा दौड़ लग रहे हैं। सरकार से छूट मिलने के बाद भी इनमें से महज एक चौथाई ही पंजीकृत हैं। बिजली विशेषज्ञों का दावा है कि समुचित चार्जिंग सुविधा की कमी से शहर के महत्वपूर्ण हिस्सों खासकर मेट्रो स्टेशनों के पास बिजली चोरी का संगठित गिरोह सक्रिय है।

उन्होंने कहा- चूँकि अधिकांश ई-रिक्शा पंजीकृत नहीं हैं, अवैध कनेक्शन के जरिए इन्हें चार्ज करने से करीब १५० करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है। टाटा पावर देलही डिस्ट्रीब्यूशन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजय बंगा ने कहा कि हम बिजली चोरी करने के चलन को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अवैध चार्जिंग पर कड़ी नजर रख रहे हैं। में

जीएसटी संग्रह में गिरावट से चिंतित अधिकारी करेंगे आइटीसी व्यवस्था की समीक्षा

नई दिल्ली, २७ जनवरी (भाषा)।

माल व सेवा कर (जीएसटी) के संग्रह में आई गिरावट से चिंतित कर अधिकारी कारोबारियों द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का अधिक लाभ उठाने वाले मामलों की जांच शुरू कर सकते हैं। बड़ी संख्या में राज्यों में जीएसटी संग्रह में गिरावट के कारणों की जांच के लिए जीएसटी परिषद ने एक मंत्री समूह का गठन किया है। इस समूह की बैठक में आइटीसी के अधिक उपयोग का मुद्दा उठाया गया।

सूत्रों के अनुसार आदर्श स्थिति में इनपुट टैक्स क्रेडिट से राजस्व का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बात की संभावना है कि कुछ कारोबारी इस प्रावधान का दुरुपयोग कर रहे हैं। हो सकता है कि टैक्स क्रेडिट का दावा करने के

अधीन आने वाले सभी सीपीएसई से यह सुनिश्चित करने के लिए कहें कि आर्थिक रूप से गरीब लोगों को १० फीसद आरक्षण दिया जाए और यह १ फरवरी, २०१९ या इसके बाद अधिसूचित होने वाली सभी सीधी भतियों की भत्तों में लागू होगा। विभाग ने सार्वजनिक कंपनियों से १५ फरवरी से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर और अनारक्षित श्रेणी में उनके द्वारा की जाने वाली भत्तों के बारे में हर पखवाड़े में रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

इससे पहले कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग ने भी सभी मंत्रालयों और विभागों को इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी करने के लिए कहा था ताकि सीधी भतियों में बिना किसी विफलता के ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षण को लागू किया जा सके। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से

पिछड़े वर्ग के आरक्षण को मौजूदा योजनाओं के दायरे में नहीं आने वाले ऐसे लोग, जिनकी वार्षिक आय आठ लाख रुपए से कम है, उनकी पहचान ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तौर पर की गई है और इन्हें इस आरक्षण का लाभ मिलेगा।

पांच एकड़ या इससे ज्यादा कृषि भूमि वाले परिवारों, एक हजार वर्ग फुट या इससे अधिक के आवासीय फ्लैट, अधिसूचित नगर निगम क्षेत्र में सौ वर्ग गज या उससे अधिक की आवासीय भूमि और नगर निगमों के अधिसूचित इलाकों से बाहर के क्षेत्रों में २०० गज या इससे अधिक आवासीय भूमि के मालिकों को भी इस आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया है। हाल में मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि उनके विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों और केंद्रीय विश्वविद्यालय को आगामी अकादमिक वर्ष से आरक्षण लागू करने के लिए कहा है

गोयल बैंक प्रमुखों के साथ आज करेंगे बैठक

नई दिल्ली, २७ जनवरी (भाषा)।

वित्त मंत्री पीयूष गोयल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ सोमवार को बैठक करेंगे।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि बैठक में बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा और सरकारी बैंकों की वित्तीय हालत बेहतर करने पर चर्चा किए जाने की संभावना है। यह बैठक ऐसे समय हो रही है, जबकि सरकार एक फरवरी को २०१९-२० का अपना आखिरी बजट पेश करने जा रही है। इसी साल अप्रैल-मई में लोकसभा के चुनाव होने हैं।

बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद रह सकते हैं। मौद्रिक नीति समिति की सात फरवरी को बैठक होगी। नवनि्युक्त गवर्नर दास के लिए समिति की यह पहली बैठक होगी।

पीयूष गोयल को पिछले बुधवार को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, क्योंकि अरुण जेटली अमेरिका में अपना इलाज करा रहे हैं। बैठक में बैंकों की फंसे कर्ज की स्थिति और अन्य कई मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है।

जानकार सूत्रों ने बताया कि बैठक में सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं के अनुपालन की समीक्षा भी होगी।

वित्त मंत्री पीयूष गोयल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ सोमवार को बैठक करेंगे। बैंक क्षेत्र की समीक्षा और सरकारी बैंकों की वित्तीय हालत बेहतर करने पर चर्चा किए जाने की संभावना है। यह बैठक ऐसे समय हो रही है, जबकि सरकार एक फ